न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी ★ माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

प्रकरण संख्याः 58/2018
तारीख दायरः 02.08.2018

उनवान

1. हजारी पिता हरिराम जाति मीणा निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. पन्ना पिता हरिराम जाति मीणा निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. मुकेश पिता सोजी जाति मीणा निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. रतन पिता धन्ना जाति मीणा निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. मनभर पत्नि मदन जाति मीणा निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. जमनी पत्नि काशीराम जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. सोराम पिता धूला जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. मु0 दरिया पुत्री रणजीत जाति रेबारी निवासी माल का कुऑ तहसील माण्डलगढ़।
4. शिवराज पिता नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. गोरू पिता नाना जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
6. रतिराम पिता भागुता जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
7. किशना पिता भागुता जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
8. भोजा पिता हजारी जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
9. देबी पिता मेगा जाति रेगर निवासी रतनपुरा तहसील माण्डलगढ़।
10. पानी पत्नि काना जाति कलाल निवासी शामपुरा तहसील माण्डलगढ़।
11. लाडू पत्नि हीरा जाति भील निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।
12. नारायण पिता गोपी जाति गुर्जर निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।
13. पसमा देवी पत्नि किशनलाल जाति मीणा निवासी जालम की झुपड़िया तहसील माण्डलगढ़।
14. देवा पिता हीरा जाति भील निवासी जुजारपुरा तहसील माण्डलगढ़।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री रामगोपाल ब्रह्मभट्ट (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री विनोद कुमार मारू (अधिवक्ता अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 07.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जुजारपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ़ में विपक्षी जमनी की आराजी नम्बर 284, 291 किता 2 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा तथा विपक्षीया दरिया पुत्री रणजीत के खाते की आराजी नम्बर 428/283, 486/228 किता 2 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा गोरू पिता नाना की आराजी नम्बर 304, 427/302 किता 2 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, तथा विपक्षी सोदान वगेरह की आराजी नम्बर 281, 429/282 किता 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा विपक्षी रतिराम की आराजी नम्बर 305/1, 306, 433/299 किता 3 रकबा 2 बीघा [illegible] विपक्षी भोजा की आराजी नम्बर 305/2, 307, 491/435 किता 3 रकबा 2 बीघा [illegible] की आराजी नम्बर 295, 296, 297/1, 308, 417/295, 418/296, 419/[illegible], 420/308 किता [illegible] रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा विपक्षी पानी की आराजी नम्बर 310/[illegible], 393/310, 395/[illegible]76/334 किता 4 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा तथा लादू की आराजी नम्बर 312, 312/1 किता 2 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। उपरोक्त विपक्षीगण के सहखातेदार है किन्तु उन्होने कभी भी रास्ते के सम्बन्ध में कोई विवाद नही किया इसलिए इनको प्रार्थनापत्र में फरिक नही बनाया गया जिन खातेदारो ने रास्ते के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न किया उन्हे ही विपक्षीगण बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी नम्बर 321, 322, 324, 325, 326 ,388/337 किता 6 रकबा 24 बीघा 8 बिस्वा भूमि में सजबेल, टेक्टर आदी लाने लेजाने का एक कदीमाना रास्ता करीब 100 वर्शो से 20 फीट चौड़ा रास्ता चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकित नही है। यह है कि प्रार्थीगण की आराजियात में पहुॅचने का एकमात्र रास्ता ग्राम रतनपुरा से पूर्व की तरफ निकलता हुआ दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ विपक्षी जमनी के खाते की आराजी के पूर्व दिशा में होता हुआ विपक्षी सोराम की आराजी के पश्चिम व पूर्व की ओर से विपक्षी दया के खाते की भूमि के पश्चिम दिशा में होता हुआ विपक्षी गोरू के खाते की भूमि के पश्चिम दिशा में होता हुआ पूर्व दिशा में निकलता हुआ विपक्षी भोजा रतिराम के खाते की आराजी के पूर्व की ओर होता हुआ विपक्षी देबी के खाते की जमीन के उत्तर से पूर्व की ओर होता हुआ विपक्षी लाडू के खाते की पश्चिम की तरफ होता हुआ विपक्षी देवा भील के खाते की जमीन के दक्षिण की तरफ होता हुआ विपक्षी नाराण के उत्तर दिशा की तरफ होता हुआ विपक्षी शिवराज सिंह की आराजी के उत्तर दक्षिण की तरफ होता हुआ प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में पहुॅचता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की आराजियात में पहुॅचने का अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्द्ध नही है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण पीढी दर पीढी से करते आ रहे है। विपक्षीगण ने उपर अंकित रास्ते के उपयोग उपभोग में कभी भी बाधा उत्पन्न नही की किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में अंकित नही होने के कारण विपक्षीगण आये दिन झगड़ा फसाद कर रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने लगे तथा विपक्षीगण ने दिनांक 20.05.2018 को उपर अंकित रास्ते के उपयोग उपभोग करने से बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपने खाते की आराजियात पर आने जाने संजबेल आदी लाने लेजाने से महरूम हो गया तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्द्ध नही है। उक्त रास्ता बन्द हो जाने के कारण प्रार्थीगण को असहनीय क्षति हो रही है। न्याय की दृश्टि से उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक हो गया है। वरना प्रार्थीगण को असहनीय क्षति होगी तथा उक्त प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त करने से महरूम रह जायेगें। प्रार्थीगण उपरोक्त अंकित रास्ते की डी.एल.सी. रेट जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण खाते की नकले व नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। तथा प्रार्थीगण के अन्य खातेदार का देहान्त हो गया जिनके कोई वारिस नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपर अंकित रास्ता 20 फीट चौड़ा राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 24.09.2018 को विपक्षीगण संख्या 5, 7, 8, 9, 10, 12 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। यह है कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या स में जो आराजियात प्रार्थीगण की बतायी गयी है वो स्वीकार है। यह है कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या द में प्रार्थीगण व विपक्षीगण की खातेदारी का जो इन्द्राज किया गया है जो सही होकर स्वीकार है। तथा रास्ते के सम्बन्ध में पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ही नही हुआ है। यह है कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या क में जो आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की बतायी गयी है वो सही एवं सत्य है तथा उक्त आराजियात पर सजबेल टेक्टर ले जाने का एक कदिमाना रास्ता करीब 100 वर्षो से 20 फीट चोड़ा गुजरता आ रहा है। तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्द्ध नही है। यह है कि प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुॅचने का रास्ता ग्राम रतनपुरा रोड़ से पूर्व की तरफ निकलता हुआ दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ विपक्षी जमनी के खाते की आराज़ी के पूर्व दिशा में होता हुआ विपक्षी सोराम की आराजी के पश्चिम व पूर्व की ओर से विपक्षी दया के खाते की भूमि के पश्चिम दिशा में होता हुआ विपक्षी गोरू के खाते के पश्चिम दिशा में निकलता हुआ विपक्षी भोजा रतिराम के खाते की आराजी के पूर्व की ओर होता हुआ विपक्षी देबी के खाते की उत्तर से पूर्व की ओर होता हुआ विपक्षी पसमा देवी के दक्षिण दिशा की तरफ होता हुआ विपक्षी लाडू के खाते की पश्चिम की तरफ होता हुआ विपक्षी देवा भील के खाते की दक्षिण की ओर होता हुआ विपक्षी नाराण के जमीन के उत्तर दक्षिण होता हुआ विपक्षी शिवराज की आराजी में उत्तर दक्षिण की ओर होता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुॅचता है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई मौके पर रास्ता उपलब्द्ध नही है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किये जाने में हम विपक्षीगण को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है। अगर उक्त रास्ता रेकॉर्ड में दर्ज नही किया जाता है तो आये दिन विवाद होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त बताये हुये रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा जो बताया गया उसको राजस्व नक्शे में इन्द्राज किये जाने में हमे कोई आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 16.04.2019 को अप्रार्थी संख्या 14 के बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। और विपक्षी संख्या 1 लगायत 4, 6, 11, 13 के सम्मन पूर्व में तामील हो चुके है। उक्त विपक्षीगण के बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 10.12.2019 को तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट पेश की गई। यह कि प्रार्थी खातेदार हजारी पिता हरिराम मीणा निवासी जुजारपुरा की खातेदारी आराजी नम्बर 321, 322, 324, 325, 326 व 388/337 तक पहुॅचने के लिए अन्य कोई विकल्प मौजूद नही है। जिसमें होकर प्रार्थी की जमीन में आया जाया जा सके। प्रार्थी की भूमि पर पहुॅचने के लिए मौकेनुसार श्यामपुरा से जुजारपुरा मुख्य सड़क से विपक्षीगणो की आराजी नम्बर 284, 282 की पूर्वी मेर के सहारे सहारे आराजी नम्बर 407/282 व तत्पश्चात् आराजी नम्बर 312 में मौके पर बनी हुई मेर पर होते हुए प्रार्थी की आराजी नम्बर 326 में प्रवेश होता है। जो नक्शे में लाल स्याही में दर्शाया गया है। उक्त चाहा गया रास्ता जुजारपुरा की आराजी नम्बर 284 के खातेदार काशीराम ही रास्ते को देने में आना कानी कर रहा है। तथा शेष आराजी के खातेदारो सहमति से रास्ता दर्ज कराने के पक्ष में है। यह है कि ग्राम जुजारपुरा की आराजी नम्बर 284 मे से करीब 12 बिस्वा भूमि रास्ता उपयोग हेतु आवश्यकता होगी जिसकी डी.एल.सी. दर 62291 रूपये प्रति बीघा से 37375 रूपये बनती है। दुगुनी दर 74750 रूपये है।

दिनांक 07.09.2020 को पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हमने तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व दस्तावेजों पर मनन व अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि ग्राम जुजारपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा में प्रार्थी के आराजी संख्या 321, 322, 324, 325, 326 व 388/337 पर पहुॅचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। विपक्षीगण कि आराजी संख्या 284, 282, 407/282 व 312 में से 20 फीट रास्ता चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहमति प्रदान की गयी है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम जुजारपुरा पटवार हल्का श्यामपुरा में प्रार्थी के आराजी संख्या 321, 322, 324, 325, 326 व 388/337 पर पहुॅचने के लिए विपक्षीगण कि आराजी संख्या 284 में से 12 बिस्वा भुमि (20 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 62291 रूपये प्रति बीघा से 37375 रूपये बनती है। दुगुनी दर 74750 रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किए जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 07.09.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.01.25 13:48:06 IST
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़